कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म0प्र0 भोपाल

rcs.cmhelpline@mp.gov.in

क्रमांक / सी.एम.हेल्प(ज0अ0) / 2019 / 541 भोपाल, दिनांक 18/09/2019

प्रति,

1–प्रबंध संचालक,
म0प्र0राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,
भोपाल ।

2–उप / सहायक आयुक्त (समस्त)
सहकारिता,
जिला समस्त, म0प्र0

3–मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित,
समस्त म0प्र0 ।

विषयः– जन अधिकार कार्यक्रम माह अक्टूबर–2019 हेतु चयनित विषय से संबंधित लम्बित शिकायतों का निराकरण समय सीमा कराने बाबत ।

संदर्भ :– म0प्र0शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय भोपाल के प0क0203 / लोसेप्र / 2019 दिनांक 1209.2019

——00——

लोक सेवा प्रबंधन विभाग म0प्र0 शासन मंत्रालय भोपाल के संदर्भित पत्र व्दारा अवगत कराया गया है कि आगामी जनअधिकार कार्यकम अक्टूबर–2019 में पांच विभागों से संबंधित विषयों का चयन किया गया है, जिसके अन्तर्गत उक्त विभाग से संबद्व सीएम हेल्पलाइन में लम्बित शिकायतों की समीक्षा की जायेगी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से संबंधित निम्नानुसार विषय चयनित किये गये है :–

विषय–क0 01

"किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग" – राष्ट्रीकृत निजी बैंक / संस्था से फसल बीमा का लाभ न मिलना / लम्बित होने से संबंधित (फसल बीमा–कृषि कल्याण विभाग)

विषय क0 02

"जय किसान फसल ऋण माफी योजना से संबंधित (कृषि विकास विभाग)

2– जन अधिकार कार्यक्रम हेतु कृषि कल्याण एवं कृषि विभाग से संबंधित चयनित विषय सहकारिता से भी संबद्व है । फसल बीमा एवं जय किसान फसल ऋण माफी योजना से संबंधित चयनित विषयों में सीएम हेल्पलाइन अन्तर्गत एल–1 अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी है, जो अपने स्तर से उक्त विषयो से संबंधित समस्त लम्बित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण निर्धारित समयावधि में कर निराकरण प्रतिवेदन पोर्टल पर दर्ज करें एवं शिकायतवार निराकरण का इकजाई–प्रतिवेदन तैयार कर एल–03 अधिकारी संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता के समक्ष प्रस्तुत कर शिकायतों को पूर्ण निराकृत कराये।

3— उप/सहायक आयुक्त सहकारिता दोनों चयनित विषयों से संबंधित लम्बित शिकायतों की जिला स्तर पर समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लें कि शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण शत प्रतिशत निराकरण पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है।

4— संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता एल—03 अधिकारी उपरोक्त विषय से संबंधित समस्त शिकायतों की जिला बैंकवार अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें एवं शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराकर पोर्टल पर दर्ज करायें। संभागीय अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर चयनित विषयो से संबंधित समस्त लम्बित शिकायतों का शत प्रतिशत निराकरण आगामी समीक्षा बैठक के पूर्व कराना सुनिश्चित करें ।

5— प्रबंध संचालक म0प्र0राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल अपने स्तर पर चयनित विषयों से संबंधित समस्त लम्बित शिकायतों की जिला बैंकवार समीक्षा करें। दोनों चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों का सुस्पष्ट एवं संतुष्टि योग्य निराकरण न होने की दशा में तत्काल संबंधित जिला बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा कर ऐसी शिकायते, जिनका निराकरण संतुष्टि योग्य नहीं हो, संतुष्टि योग्य निराकरण प्रतिवेदन प्राप्त कर पोर्टल पर दर्ज कराये इस संबंध में पूर्व में भी निर्देशित किया गया है कि किसान केडिट कार्ड एवं फसल बीमा से संबंधित लम्बित शिकायतों के निराकरण हेतु बैंक स्तर पर सेल गठित कर नियमित समीक्षा की जावे किन्तु उपरोक्त निर्देशों के पालन में अपेक्षित परिणाम परिलक्षित नहीं हुये है । बैंक स्तर से इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है, इसकी जानकारी भी अप्राप्त है । अतः की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन शीघ्र प्रेषित किया जावे ।

जन अधिकार कार्यकम के अन्तर्गत सीएम हेल्पलाइन में उक्त विषयों से संबंधित लम्बित शिकायतों की समीक्षा मा0 मुख्यमंत्रीजी व्दारा की जाना है, यदि किसी जिले की लम्बित शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण शत प्रतिशत निराकरण नहीं होता है तो संबंधित एल—01 अधिकारी के साथ—साथ संबंधित संभागीय संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं प्रबंध संचालक शीर्ष बैंक को भी उत्तरदायी माना जावेगा।

(डॉ. एम0के0 अग्रवाल)
आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,
मध्य प्रदेश

क्रमांक/सी.एम.हेल्प./2019/541 भोपाल, दिनांक 18/09/2019

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव म0प्र0शासन सहकारिता विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. कलेक्टर समस्त म0प्र0 की ओर भेजकर लेख है कि उक्त प्रकरणों में आप एल—2 अधिकारी है अतः सभी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कराना सुनिश्चित करें ।
3. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता समस्त संभाग म0प्र0 की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सीएमहेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की प्रतिदिन समीक्षा कर समय सीमा में निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें ।

आयुक्त सहकारिता एवं
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,
मध्य प्रदेश